न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 77/2013

श्रीमति पतासी पत्नि श्री समदा जी जाति मेरात निवासी केसरपुरा (कानाखेडा) तहसील मसूदा जिला अजमेर । (मृतक) जिसके स्थान पर निम्न विधिक वारिसान :–

1. समदा पुत्र स्व0 कम्मा जी उम्र 67 साल। (पति)
2. सुलेमान पुत्र समदा उम्र 34 साल। (पुत्र)
3. शरीफ पुत्र समदा उम्र 30 साल। (पुत्र)
4. अब्दुल पुत्र समदा उम्र 25 साल (पुत्र)
   उपरोक्त समस्त जाति मेरात निवासी ग्राम केसरपुरा (कानाखेडा) तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. श्रीमति सईदा पुत्री समदा पत्नि श्री याकूब जी उम्र 20 साल जाति मेरात निवासी मित्तल नगर कॉलोनी रातीडागा अजमेर।

.........वादीगण

बनाम

1. मिश्री पुत्र अम्मी जाति मेरात निवासी ग्राम केसरपुरा (कानाखेडा) तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. श्रीमान् लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मसूदा

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

प्रकरण पर प्रारंम्भिक डिक्री दिनांक 23.03.2017 को पारित कर तहसीलदार मसूदा को विवादित आराजी का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन बटवारा कर बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार मसूदा ने ग्राम केसरपुरा पटवार क्षेत्र कानाखेडा भू0 अ0 नि0 खरवा तहसील मसूदा स्थित आराजी ख0 न0 187 रक्बा 1–09–00 बीघा का पक्षकारान के मध्य बटवारा कर प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तावित किये है–

	नाम खातेदार	ख0 न0	रक्बा	लगान
1.	वादिया पतासी (मृतक) उसके कायम मुकाम समदा पुत्र कम्मा, सुलेमान, शरीफ अब्दुल पिता समदा व मु0 सईदा पुत्री समदाकौम मेरात	187/1	0–14–10	0.75
2.	मिश्री पुत्र अम्मी कौम मेरात	187/2	0–14–10	0.75

प्रतिवादी स0 1 मिश्री पर सम्मन तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अतः बटवारा प्रस्ताव वादिया के कायम मुकाम उपस्थित वादीगण को उनके अभिभाषक की उपस्थिति में पढकर सुनाया व समझाया गया बाद सुनने एवं समझने के वे बटवारा प्रस्ताव से सहमत हुए अतः बटवारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर अभिलेख पर लिए जाते है।

वादीगण समदा पुत्र कम्मा एवं सुलेमान, शरीफ अब्दुल पिता समदा तथा मु0 सईदा पुत्री सईदा कौम मेरात को ग्राम केसरपुरा पटवार क्षेत्र कानाखेडा स्थित आराजी ख0 न0 187 रक्बा 1–09–00 के बटवारा प्रस्ताव अनुसार ख0 न0 187/1 रक्बा 0–14–10 बीघा में तथा प्रतिवादी स0 1 मिश्री पुत्र अम्मी कौम मेरात को ख0 न0 187/2 रक्बा 0–14–10 बीघा में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी ख0 न0 187/1 में दखलदाजी एवं कब्जा बेदखली आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 10:25:55 IST
Reason: SelfAttested